राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत केम्प स्थल–पंचायत मुख्यालय सारणों का तला)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–21/2018

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
धमाराम पुत्र कोहलाराम जाति जाट निवासी साईयों की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर	1.उमाराम 2.लिखमाराम 3.धर्माराम पिसरान कोहलाराम जाति जाट निवासी साईयों की ढाणी ग्राम पंचायत सारणों का तला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 4.मेगा उर्फ नेना पुत्र जाला जाति जाट निवासी जेरूपोणियों का तला तहसील सिणधरी 5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–15.5.2018

1 संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी द्वारा एक राजस्व वाद इस आशंय का प्रस्तुत किया गया,कि ग्राम ऊंचिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1591/1116 रकबा 62–13 बीधा व ग्राम दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1557/557 रकबा 39–15 बीधा भूमि आई हुई है। जिसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सें 4 सहखातेदार है। विवादित भूमि को वादी एवं प्रतिवादी स.1 से 4 द्वारा जरिये बेचानपत्र के कय की गई है,वक्त खरीद के समय वादी का सही नाम धमाराम के स्थान पर विरधा गलत नाम

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

दर्ज हो गया। जो गलत होने के कारण विरधा के स्थान पर धमाराम दुरूस्त किये जाने की इस्तदुआ चाही गई है।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। और वादग्रस्त भूमि के संबध में तथ्यात्मक जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.वादी साक्ष्य में वादी स्वंय धमाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1.उमाराम 2.लिखमाराम 3. धर्माराम के संयुक्त बयान एवं स्वतंत्र गवाह श्री पीराराम के बयान कलमबद्व किये गये।

4.हमनें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 4 को सुना और तहसीलदार सिणधरी की मौका रिर्पोर्ट, बयानात एवं राजस्व रिकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिणधरी ने अपनी समग्र जांच रिर्पोर्ट में विवादित भूमि के सहखातेदार वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि विरधा वल्द कोशला के स्थान पर धमाराम वल्द कोहलाराम दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। वादी स्वंय के बयान व उसके पक्ष में गवाह प्रतिवादी संख्या 01 से 3 एवं स्वतंत्र गवाहान में श्री पीराराम ने अपने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि में वादी का गलत नाम विरधाराम दर्ज है। वास्तविक नाम धमाराम है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि वादी का वास्तविक नाम धमाराम है। एवं सलंग्न सरकारी दस्तावेज यथा–दी बाड़मेर सैन्ट्रल को ऑपरेटिव बैक लि.सिणधरी की बैक डायरी, वोटर कार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम धमाराम अंकित है। वादग्रस्त भूमि के सहखतोदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 4 है,ने विवादित भूमि के संबध में राजीनामा पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 से 3 ने स्वीकार किया है,कि वादी उनका सगा भाई है और उसका वास्तविक नाम धमाराम है। लेकिन विवादित भूमि क्रय दस्तावेजात में वादी का गलत नाम विरधाराम अंकित हो गया है। जो आदिनांक तक रिकार्ड में उक्त प्रविष्टि चली आ रही है। ग्राम ऊचिंया एवं दांखा की भूमि में वादी का दर्ज हो रखा गलत नाम विरधा पुत्र कोशला के स्थान पर धमाराम पुत्र कोहलाराम नाम दुरूस्त किया जाता है,तो हमें कोई आपर्ति नहीं है,हम सहमत है। पक्षकारान की सहखातेदारी भूमि ग्राम साईयों की ढाणी की खसरा संख्या 309,387,388,389 कुल रकबा 127–10 बीधा व अन्य ग्राम जैरूपाणियों का तला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 369,668,705 कुल रकबा 221–10 बीधा भूमि में अन्य सहखातेदारों के साथ वादी का सही नाम धमाराम दर्ज है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि वादी का वास्तविक नाम धमाराम है। और वादग्रस्त भूमि के क्रय दस्तावेजात में वादी का गलत नाम विरधा दायर हो गया था। जो विरधाराम के स्थान पर धमाराम दुरूस्त करवानें का वादी हकदार है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

मजमें आम में भी पुछताछ करने पर पाया कि वादी का वास्तविक नाम धमाराम है। तहसीलदार सिणधरी नें भी ग्राम ऊंचिया एवं दांखा की सहखातेदारी खसरा संख्या 1591/1116 व 1557/557 में अंकित प्रविष्टि विरधा वल्द कोशलाराम एवं विरधा वल्द कुशला के स्थान पर धमाराम पुत्र कोहलाराम नाम दर्ज करने की अनुशंसा की है।

लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम ऊंचिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1591/1116 रकबा 62–13 बीधा व ग्राम दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1557/557 रकबा 39–15 बीधा **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि विरधाराम वल्द कोशलाराम एवं विरधा वल्द कुशला के स्थान पर विरधा उर्फ धमाराम वल्द कोहलाराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15-5-18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

सहायक कलक्टर सिणधरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पंचायत मुख्यालय सारणों का तला

पीठासीन अधिकारीः–...श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

अनवान

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

धमाराम पुत्र कोहलाराम

जाति जाट

निवासी साईयों की ढाणी

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

1.उमाराम

2.लिखमाराम

3.धर्माराम पिसरान कोहलाराम जाति जाट निवासी साईयों की ढाणी ग्राम पंचायत सारणों का तला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

4.मेगा उर्फ नेना पुत्र जाला जाति जाट निवासी जेरूपोणियों का तला तहसील सिणधरी

5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :–21/2018

निर्णय दिनांक :–15.5.2018

वादी की ओर से स्वंय वादी उपस्थिति.की व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 15.5.2018 को. श्री अंजुम ताहिर सम्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, **आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है** किः–वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम ऊंचिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1591/1116 रकबा 62–13 बीधा व ग्राम दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1557/557 रकबा 39–15 बीधा **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि विरधाराम वल्द कोशलाराम एवं विरधा वल्द कुशला के स्थान पर विरधा उर्फ धमाराम वल्द कोहलाराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित कर।

यह आज तारीख..15/5/18.... .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner